क्रम-संख्या-187

रजिस्टर्ड नं० यू० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च, 1982

चैत्र 10, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1092/सत्रह-वि0-1-170-1982

लखनऊ, 31 मार्च, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 31 मार्च, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1982 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) में, उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(2) शिक्षा निदेशक द्वारा या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे विश्वविद्यालय का कोई सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या संस्थान भी है, अधीन सेवा,"।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 1092 (2)/XVII-V—1-170-1981

Dated Lucknow, March 31, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Atyawashyak Sewaon Ka Anurakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1982:

THE UTTAR PRADESH ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE (AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. Act no. 16 of 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 1, 1981.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. XXX of 1966.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*a*), *for* sub-clause (ii), the following sub-clause shall be *substituted*, namely—

"(ii) any service under an educational institution recognised by the Director of Education, or by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or service under a University incorporated by or under an Uttar Pradesh Act including any affiliated college, associated college, autonomous college, constituent college or Institute of any such University."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Essential Services Maintenance (Amendment) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 398 सा० (विधा०)-31-3-82-(4357)-1982-700 (मेक०)।